

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in) -

क्रमांक :- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 796-808

दिनांक :- 9-3-17

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (B) (III) के अंतर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	लिक नं.	नाम (सर्वश्री) / पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
(1)	(2)	(3)	कब से (4)	कब तक (5)	(6)
1	8436	कैलाश चन्द्र नागर / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	17/01/2017	02/02/2017	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, नावां, नागौर - 32464
2	8909	कमलेश कुमार शर्मा / कनिष्ठ लेखाकार	09/01/2017	01/02/2017	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर - 904
3	627	रमेश राजपूत / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	11/01/2017	02/02/2017	मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर - 6279
4	3764	सुरेश कुमार जैन / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	24/01/2017	08/02/2017	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भीलवाड़ा - 20207

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 915 दिनांक 20/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

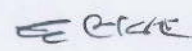

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 796-808

दिनांक :- 9-3-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
- संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/ कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- ☒ उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित निजी पत्रावली।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)